



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267965
CG-DL-E-26112025-267965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5220]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2025/अग्राहायण 4, 1947

No. 5220]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025/AGRAHAYANA 4, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2025

का.आ. 5396(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (यहाँ इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार दिनांक 09.07.2024 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 08.07.2024 के का.आ. 2671(अ) द्वारा तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइप लाइन परियोजनाओं के लिये पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, श्री एस. सरवनन, विशेष तहसीलदार (ए डी डब्लू) सिरकाली, तमिलनाडु सरकार को एतद्वारा अनधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल – 14014/21/2016/जी.पी.-II] (ई-45203)

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2025

S.O. 5396(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby de-notifies earlier notified Competent Authority for M/s GAIL (India) Limited for all its Natural Gas Pipeline Projects in the State of Tamil Nadu & Union Territory of Puducherry, Shri S Saravanan, Special Tehsildar (ADW), Sirkali Government of Tamil Nadu vide S.O.2671(E) dated 08.07.2024 published in the Extraordinary Gazette of India dated 09.07.2024.

2. This Notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/21/2016/GP-II)(E-45203]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.